18/11/24 पत्रावली पेशी में ली गई। अधि. वादी ने वाद
पत्र 88 राज. में पेश कर निवेदन किया कि
वादी के नाम चक 12 HMH खाता नं. 54/24
तादादी 1.812 है. में हिस्सा 23/200 दर्ज
राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी का
नाम याकूब वल्द कुतुबदीन अंकित है
जबकि आधार कार्ड, पहचान पत्र में हाकम अली
अंकित है। वादी के मूल निवास में
याकूब दर्ज है। इसलिए वादी ने अनुतोष
चाहा कर याकूब उर्फ हाकम अली दुरुस्त
दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किये जाने का निवेदन
किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण
में तहसीलदार हनुमानगढ़ से मौका रिपोर्ट
तलब की गई। तहसील पत्रांक LR/3990
दिनांक 29.10.024 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट जिसमें
अंकित किया गया है कि याकूब उर्फ
हाकम अली पुत्र कुतुबदीन नाम एक ही
व्यक्ति के नाम है तथा दोनों नामों से
उक्त व्यक्ति को जाना जाता है।
पत्रावली का अवलोकन किया व
तहसीलदार रिपोर्ट का अध्ययन किया गया।
बहस वादी पक्ष सुनी गई। वाद पत्र मुताबिक
मौका Report स्वीकार कर आदेश दिए
जाते है कि चक 12 HMH खाता नं. 54/24
तादादी 1.812 है. में दर्ज खातेदार याकूब
वल्द कुतुबदीन हिस्सा 23/200 की जगह
याकूब उर्फ हाकम [illegible] कुतुबदीन
राजस्व Record [illegible] नाम दुरुस्ती
की जावे। [illegible] प्रविष्टियां यथावत पूर्वानुसार
रखी जावे। तहसीलदार हनुमानगढ़ आदेश
की पालना करावे। आदेश खुले न्यायालय
में सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर
की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.11.25 13:23:38 IST
Reason: SelfAttested